न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2021/786 — दायर दिनांक–13.07.2020
मुकदमा नम्बर 12/2022

1. कुरडाराम पुत्रा मांगू जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
2. भानसिंह पुत्र मांगू जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. उर्मिला पुत्री कुरडा
2. चंद्रकोरी पत्नी कुरडा
3. परमेश्वरी पुत्री कुरडा
4. बनवारीलाल पुत्री नवरंगराम
5. बनारसी पुत्री नवरंगराम
6. बिरजू पुत्री टीकू
7. बिमला पुत्री नवरंगराम
8. भगवानी पत्नी नवरंगराम
9. मक्खनलाल पुत्र उदाराम
10. मणी पुत्री नवरंगलाल
11. मदनलाल पुत्र उदाराम
12. महेन्द्र पुत्र नवरंगलाल
13. महाबीर पुत्र उदाराम
14. राजेंश पुत्र नवरंगलाल
15. रामकुवार पुत्र कुरडा
16. रामनिवास पुत्र नवरंगराम
17. रामस्वरूप पुत्र करडा
18. रामावतार पुत्र पोकर
19. श्रीचन्द पुत्र उदाराम
20. सुनिता पुत्री नवरंगराम जाति जाट निवासीगण नेहरों की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

–अप्रार्थीगण?

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जांगीड
वकील अनावेदक सं. 9 :– श्री सुरेश सिंगड (राजीनामा पेश)
अनावेदक 1 लगा. 8 तथा 10 लगा. 20– एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

Scanned with CamScanner

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश :: दिनांक –02/04/2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, प्रा. पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दिखाये डी,ई,एफ प्रश्नगत रास्ता जो ग्राम नेहरा की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया के ख.नं. 140 से पश्चिम में चलकर खसरा नं. 137 में से होता हुआ चाह व पम्पिंग सैट के दक्षिण में होता हुआ खसरा नं. 136 में घुसकर खसरा नम्बर 134 में घुसकर खसरा नं. 135 की दक्षिणी पूर्वी सीमा के कोणे तक जाता है को राजस्व रिकॉर्ड मे गैर मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक 1 लगा. 8 तथा 10 लगा. 20 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित जिनके विरूद्व इस प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 9 ने तथा आवेदकगण द्वारा एक राजीनाम प्रा. पत्र इस कदर पेश किया की, आवेदकगण व अनावेदक सं. 9 मे लोक अदालत की भावना से राजीनाम कर लिया है। मौके पर अप्रार्थी सं. 9 से चाहे अनुसार रास्ता कायम कर लिया है। अतः मौका रिपोर्ट दिनांक 7/8/2020 (तहसीलदार नवलगढ़ के पत्रांक राजस्व/2020/177 दिनांक 02/02/2021) के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर दिया जावे।

राजीनामा पक्षकारान की उपस्थिति मे तस्दिक किया गया। बहस वकुलान राजीनामा बाबत पेश किये जाने पर बगौर सुनी गई। प्रकरण मे अनावेदक 1 लगा. 8 तथा 10 लगा. 20 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व मे हो चूकी है तथा आवेदकगण व अनावेदक सं. 9 द्वारा मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट 177 दिनांक 02/02/2021 तथा फर्द दिनांक 7/8/2020 अनुसार रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया है।

प्रा. पत्र आपसी सहमति,राजीनामे का व पोषणीय होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा यह प्रा. पत्र मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट 177 दिनांक 02/02/2021 तथा फर्द दिनांक 7/8/2020 अनुसार **न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।**

तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट 177 दिनांक 02/02/2021 तथा फर्द दिनांक 7/8/2020 मे वर्णीत अनुसार प्रश्नगत रास्ता जो ग्राम नेहरा की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया के ख.नं. 140 से पश्चिम में चलकर बिन्दू सं. सी से डी, ई, [व एफ] तक जिसकी लम्बाई बिन्दू सी से डी तक 51 मीटर, बिन्दू डी से ई तक 44 मीटर, [तथा ई से एफ – 55 मीटर ख.नं. 135] तक को 04 मीटर चौडाई का गै.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट 177 दिनांक 02/02/2021 तथा फर्द दिनांक 7/8/2020 मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

89

नोट :– न्यायालय के आदेश दिनांक 5/5/24 के अनुसरण मे पेरा सं. 6 कि तृतीय पंक्ति मे अंकित बिन्दु सं. सी से डी., ई व एफ तक जिसकी लम्बाई क्रमशः – बिन्दु सं. सी. से डी. तक 51 मीटर, बिन्दु सं. डी. से ई. तक 44 मीटर तथा ई. से एफ तक 55 मीटर ख.नं. 135 तक को 4 मीटर चौड़ाई का गै.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार संशोधित पढ़ा जावे व अमल किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

पत्र में चाहे गये अनतोष के अनुसार व मौका रिपोर्ट दिनांक 07.08...

Scanned with CamScanner

चूकी प्रकरण आपसी राजीनामे व लोकअदालत की भावना से सहमति से हुआ है इसलिये तहसीलदार नवलगढ़, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner